#### विदाई समारोह में इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का छलका दर्द

# 2018 में छत्तीसगढ़ से स्थानांतरण परेशान करने के लिए किया गया था

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 22 नवंबर

इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर ने अपने विदाई भाषण में आरोप लगाया कि वर्ष 2018 में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय से उनका स्थानांतरण परेशान करने के लिए किया गया था। तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाले कालेजियम ने उनका स्थानांतरण किया था।

इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा मंगलवार को न्यायमूर्ति दिवाकर की सेवानिवत्ति पर एक विदाई समारोह आयोजित किया गया था। इसमें न्यायमूर्ति दिवाकर ने कहा कि उन्हें लगता है कि उनके स्थानांतरण का आदेश गलत इरादे से जारी किया गया। ऐसे मौके पर किसी न्यायाधीश द्वारा ऐसी टिप्पणी करना असामान्य है।

दिवाकर ने कहा कि 31 मार्च, 2009 को मेरी प्रोन्नित पीठ पर हुई। मैंने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में एक न्यायाधीश के तौर पर अक्तूबर, 2018 तक अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। मेरे कार्यों से सभी संतुष्ट थे। अचानक प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने मुझ पर अधिक ही प्यार दिखाया जिसकी वजह मुझे अब भी नहीं पता। उन्होंने मेरा स्थानांतरण इलाहाबाद हाईकोर्ट में कर दिया जहां मैंने तीन अक्तुबर, 2018 को कार्यभार ग्रहण किया। मेरा स्थानांतरण आदेश मुझे परेशान करने के इरादे से जारी हुआ प्रतीत हुआ।

हालांकि, यह मेरे लिए वरदान साबित हुआ क्योंकि मुझे मेरे साथी न्यायाधीशों और बार के सदस्यों की तरफ से जबरदस्त सहयोग और समर्थन मिला। इस साल की शुरुआत में, न्यायमूर्ति दिवाकर के नाम की सिफारिश प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुआई वाले कालेजियम द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद के लिए की गई और न्यायमूर्ति दिवाकर को 13 फरवरी, 2023 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया।

उन्होंने 26 मार्च. 2023 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की शपथ ली। न्यायमूर्ति दिवाकर ने कहा कि मैं मौजूदा प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ का अत्यधिक आभारी हूं जिन्होंने मेरे साथ हुए अन्याय को सुधारा। न्यायमूर्ति दिवाकर ने यह सुझाव भी दिया कि आलोचकों को किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले खामियों को जरूर देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरा दृढ़ विश्वास है कि किसी खास निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले जहां तक संभव हो, इस संस्थान में मौजूद खामियों को भीतर से अवश्य देखना चाहिए और समस्या में ही समाधान निहित है।


### नीट-यूजी के पाठ्यक्रम को छोटा किया गया

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 22 नवंबर। राष्ट्रीय परीक्षण एजंसी (एनटीए) के अनुसार, मेडिकल

प्रवेश परीक्षा राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा- स्नातक (नीट-यजी) के पाठयक्रम को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) और अन्य स्कूल बोर्डों के तहत बनाए गए पाठ्यक्रम के साथ संरेखित करने के लिए कम कर दिया गया है।

देश में मेडिकल कालेज में प्रवेश लेने के लिए सबसे बड़ी परीक्षा का आयोजन अगले वर्ष पांच मई को होगा। एनटीए ने एक आधिकारिक अधिसचना में कहा कि सभी हितधारकों विशेषकर आकांक्षी परीक्षार्थियों को यह सचित किया जाता है कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) के

तहत एक स्वायत्त निकाय स्नातक चिकित्सा शिक्षा बोर्ड ने नीट-यूजी, 2024 के पाठ्यक्रम को अंतिम रूप दे दिया है। एजंसी ने कहा की यही अधिसूचना एनएमसी की वेबसाइट पर भी डाली गई है। हितधारकों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा की तैयारी के लिए नीट-यूजी 2024 के लिए अद्यतन पाठ्यक्रम का संदर्भ लें और शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए नीट-यूजी परीक्षाओं की तैयारी भी इसी के अनुसार करें।



अभिनेता पंकज त्रिपाठी बुधवार को अंतरराष्ट्रीय महोत्सव फिल्म महोत्सव में हिस्सा लेने गोवा पहुंचे।

# कमेचारा बखास्त

#### आतंकियों से संबंधों के आरोप में की गई कार्रवाई

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 22 नवंबर।

जम्मू एवं कश्मीर प्रशासन ने केंद्र शासित प्रदेश में आतंकवादियों के साथ कथित संबंधों के आरोप में एक चिकित्सक और एक पुलिसकर्मी सहित चार सरकारी कर्मचारियों को बुंधवार को बर्खास्त कर दिया। अधिकारियों ने

यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि श्रीनगर के एसएमएचएस अस्पताल में सहायक प्रोफेसर (चिकित्सा) निसार-उल-हसन, कांस्टेबल अब्दुल मजीद भट, उच्च शिक्षा विभाग में प्रयोगशाला कर्मी अब्दल सलाम राठेर और शिक्षा विभाग में शिक्षक फारुख अहमद मीर को भारत के संविधान के अनुच्छेद 11 के प्रावधानों के तहत बर्खास्त कर दिया गया। पिछले तीन वर्षों में केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन ने संविधान की धारा 311 (2) (सी) का इस्तेमाल करते हुए 50 से अधिक कर्मचारियों को बर्खास्त किया है। ये लोग कथित तौर पर पाकिस्तानी आतंकवादी संगठनों की मदद कर रहे थे, आतंकवादियों की विचारधारा का प्रचार कर रहे थे, धन जुटा रहे थे और अलगाववादी एजंडे को आगे बढ़ाँ रहे थे। सामान्य प्रशासन विभाग ने अलग लेकिन समान बर्खास्तगी के आदेश में

कहा कि उप राज्यपाल तथ्यों पर विचार के बाद की गई कार्रवाई से संतुष्ट हैं। आदेश में कहा गया कि उपलब्ध जानकारी के अनुसार चारों कर्मचारियों की गतिविधियां ऐसी हैं कि उन्हें सेवा से बर्खास्त किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 311 के खंड (2) के प्रावधान के उप-खंड (सी) के तहत उपराज्यपाल संतुष्ट हैं कि राज्य की सुरक्षा के हित में मामले में जांच कराना आवश्यक नहीं है। ये बर्खास्तगी आतंकवादी पारिस्थितिकी तंत्र और उनके अहम साझेदारों पर चल रही कड़ाई का हिस्सा है, जिन्हें अतीत में अलग-अलग शासन ने गृप्त रूप से सरकारी तंत्र में शामिल किया था। हसन उत्तरी कश्मीर के बारामुला जिले के सोपोर स्थित 'डाक्टर्स एसोसिएशन कश्मीर' (डीएके) का स्वयंभू अध्यक्ष है, वह 'अलगाववाद' फैला रहा था और उसे 'सीमा पर से स्पष्ट निर्देश' थे। हसन ने एक कट्टर अलगाववादी के तौर पर छवि बनाई और वे लगातार अलगाववादियों और आतंकवादियों को नैतिक समर्थन प्रदान कर रहा था। वह एक 'संभावित टाइम-बम' है जिसका भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के खिलाफ व्यापक हिंसा और अशांति पैदा करने के लिए पाकिस्तान और उसके आतंकवादी-अलगाववादी नेटवर्क किसी भी समय फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं।

## सुप्रीम कोर्ट में वकीलों ने कहा, चुनाव पूर्व मुफ्त उपहारों का वादा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत भ्रष्ट आचरण

जनसत्ता ब्यूरो

नई दिल्ली, 22 नवंबर।

उच्चतम न्यायालय से बुधवार को कहा गया कि राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव पूर्व मुफ्त उपहार देने का वादा एक भ्रष्ट आचरण है और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत रिश्वत है जो चुनाव को अमान्य घोषित करने का आधार है।

तीन-न्यायाधीशों की पीठ वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर याचिका सहित विभिन्न याचिकाओं पर विचार कर रही थी, जिनमें चुनाव के दौरान पार्टियों

याचिकाओं में निर्वाचन आयोग को इन पार्टियों के चुनाव चिह्नों को जब्त करने और उनका पंजीकरण रद्द करने की अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने का निर्देश देने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील विजय हंसारिया ने प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ से कहा कि एस. सुब्रमण्यम बालाजी बनाम तमिलनाडु सरकार और अन्य के मामले में शीर्ष अदालत की दो-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा 2013 में दिए गए फैसले पर पुनर्विचार की

द्वारा इस तरह के वादों का विरोध किया गया है। में कहा था कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 में दिए गए मापदंडों की जांच और विचार करने के बाद, वह इस निष्कर्ष पर पहुंची कि चुनाव घोषणा पत्र में किए गए वादों को भ्रष्ट आचरण घोषित करने के लिये धारा 123 के तहत नहीं पढ़ा जा सकता है। हंसारिया ने पीठ के समक्ष कहा कि एस सुब्रमण्यम बालाजी मामले में शीर्ष अदालत का फैसला सही कानून नहीं बनाता है। पीठ में न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल हैं। हंसारिया ने कहा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123 के तहत 'रिश्वत' को.... भ्रष्ट आचरण माना जाता है।

#### प्रचार के दौरान ओवैसी ने पुलिस को 'धमकाया'

हैदराबाद, 22 नवंबर (भाषा)।

आल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआइएमआइएम) नेता और विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ चुनाव प्रचार के दौरान एक पुलिस अधिकारी को कथित तौर पर धमकी देने और कर्तव्य निभाने में बाधा डालने के आरोप

में बधवार को यहां मामला दर्ज किया गया।

तेलंगाना विधानसभा चुनाव में यहां चंद्रायनगुट्टा सीट से चुनाव लड रहे अकबरुद्दीन औवेसी मंगलवार रात को जनसभा को संबोधित कर रहे थे, जहां संतोष नगर पुलिस थाने के थाना प्रभारी (एसएचओ) और अन्य पुलिस अधिकारी बंदोबस्त ड्यूटी के लिए पहुंचे। चंद्रायनगुट्टा सीट से दोबारा चुनाव लड़ रहे अकबरुद्दीन ओवैसी एक वीडियो प्रसारित हुआ है। वीडियो में देखा जा सकता है कि अकबरुद्दीन ने जब देखा कि मंच के पास एसएचओ उनकी ओर आ रहे हैं तो उन्होंने उंगली दिखाकर पुलिस अधिकारी की ओर इशारा किया और उनसे वहां से चले जाने को कहा। चुनाव आदर्श आचार संहिता के अनुसार, प्रचार की समय सीमा रात 10 बजे तक है और यह समयसीमा पार हो जाने के चलते एसएचओ अकबरुद्दीन को रोकने के लिए आगे बढे थे। सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो में, अकबरुद्दीन औवेसी पुलिस अधिकारी की ओर बढ़ते हुए उनसे कहते नजर आ रहे हैं, 'इंस्पेक्टर साहब मेरे पास एक घंडी है। क्या मैं अपनी घड़ी आपको दे दूं। आप (यहां से) चले जाइए।'

आवश्यकता है। शीर्ष अदालत ने 2013 के अपने फैसले

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड तथा आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ संविलित) सीआईएन : एल६५११०टीएन२०१४पीएलसी०९७७७२ पंजीकृत कार्यांसय : केआरएम टॉवर्स, 8वां तल, हैरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई-600031,

**दूरमाष** : 91 44 4564 4000, फैक्स : 91 44 4564 4022 परिशिष्ट IV (नियम 8(1)) अधिग्रहण सूचना

(अचल संपत्ति हेत्) जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड तथा आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ संविलित के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिमृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिमृति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत और प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों व प्रयोगांतर्गत, एक मांग सूचना दिनांकित 26-04-2023 निर्गत की थी, जिसमें ऋणकर्ता, सह-ऋणकर्ताओं और गारंटरों 1. पंकज कुमार, 2. पुष्पा तुलबहादुर को सूचना में अंकित राशि रु. 11,19,812.19 / – (रुपये ग्यारह लाख उन्नीस हजार आठ सौ बारह एवं उन्नीस पैसे मात्र), 25–04–2023 के अनुसार देय, का उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर, प्रतिभुगतान करने को कहा गया था।

चुंकि ऋणकर्तागण निर्धारित बकाया राशि का प्रतिभगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतदद्वारा ऋणकर्ता को तथा जनसाधारण को सुचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहां इसमें निम्न विवरणित संपत्ति का, प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, 17 नवंबर 2023 को, भीतिक अधिग्रहण कर लिया है।

ऋणकर्ताओं को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को एतदहारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि संपत्ति का लेन-देन न करें तथा संपत्ति का कोई व किसी भी प्रकार का लेन-देन, रु. 11,19,812.19 / - (रुपये ग्यारह लाख उन्नीस हजार आठ सौ बारह एवं उन्नीस पैसे मात्र की एक राशि तथा इस राशि पर ब्याज हेत् आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड तथा आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ संविलित) के प्रभाराधीन होगा।

ऋणकर्ता का ध्यान, प्रतिभूत परिसंपत्तियों के मोचनार्थ उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

अचल संपत्तियों का विवरण

पलैट नं. 103 के समस्त वह भाग तथा अंश जो प्रथम तल (छताधिकारों के बिना) पर, माप 45 वर्ग मीटर (आवृत्त क्षेत्रफल), भूखंड सं डी-1/4 पर निर्मित, खसरा सं. 348 में से, रेल विहार कॉलोनी, ग्राम : सदल्लाबाद, परगना एवं तहसील : लोनी, जनपद : गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश), 201102 में स्थित तथा निम्नानुसार परिसीमित है : पूर्व : मस्जिद, पश्चिम : दीगर संपत्ति, उत्तर : रास्ता 25 फूट चौड़ा, दक्षिण : भूखंड

दिनांक : 17-नवंबर-2023 स्थान : गाजियाबाद ऋण खाता सं: 12965024

वित्तीय साक्षरता पर बात करेंगे विशेषज्ञ : किसी भी क्षेत्र के जुड़े लोगों के लिए वित्तीय साक्षरता बहुत आवश्यक होती है। फिर चाहे वे डाक्टर या इंजीनियर हो या फिर किसान हो। इसी उद्देश्य के लिए शुक्रवार को 'अंतरराष्ट्रीय वित्तीय साक्षरता सम्मेलन 2023' के छठे संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्घाटन पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु करेंगे। सम्मलेन का आयोजन अवोक इंडिया कर रही है। इसके अध्यक्ष प्रवीण कुमार द्विवेदी ने बताया कि दिन भर चलने वाला यह सम्मेलन कृषि, युवा, महिला, एमएसएमआर और नवउद्यमों और बीएफएसआइ क्षेत्र पर केंद्रित पांच पैनलों में शामिल प्रतिष्ठित पैनलिस्ट/उद्योग विशेषज्ञों से जुड़ने और मूल्यवान जानकारी प्राप्त करने का एक उत्कृष्ट अवसर प्रदान करेगा। सम्मेलन के विषय 'वित्तीय समावेशनः अंतराल को कम करना' है। नई दिल्ली (ब्युरो)।



शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के निम्नलिखित ऋणकर्ताओं को एतदद्वारा सुचित किया जाता है कि उनके द्वारा बैंक से प्राप्त किए गए स्वर्ण ऋण/ऋणानेव जो हैं वे बैंक द्वारा निर्गत व्यक्तिगत सूचनाओं सहित अनेक मांगों एवं सूचनाओं के बाद भी उनके द्वारा समायोजित नहीं किए गए हैं। समस्त ऋणकर्ताओं को एतदद्वारा सचित किया जाता है कि बैंक के पास प्रतिभृति के रूप में रखे गए स्वर्णाभृषणों की नीलामी करने का निर्णय लिया गया है तथा तदनुसार 07-12-2023

शाखा	खाता संख्या	खाताधारक का नाम	पिता/पति-पत्नी का नाम	पता	खाता खोलने की तिथि	पेऑफ
इंदिरापुरम	101942516210	श्रद्धा जोशी	पुत्री अनिल जोशी	# डी 308 केयू, सेक्टर-2, उमरी रोड, कुरुक्षेत्र, थानेसर हरियाणा 136118	04-07-2023	76678.05
गाजियाबाद	101542511901	नीरज कुमार	पुत्र सरोज कुमार सिंह	# 378 ए एचबीसी, सेक्टर 19, पंचकुला हरियाणा 134113	20-06-2023	21415.34

**नीलामी तिथि 07-12-2023 को दोप. 12.00 ब**जे है

प्राधिकृत अधिकारी, शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

नीलामी को 07/12/23 के लिये पुन:अनुसूचित कर दिया गया है। असुविधा के लिये खेद है।

शिवालिक स्माल फाइनेस बैक लिमिटेड **पंजीकत कार्यालय** : 501. सेल्कन औरम, जसोला डिस्ट्रिक्ट सेंटर, नई दिल्ली-110025 CIN: U65900DL2020PLC366027

	खाता सं.	खाता धारक का नाम	पिता∕पति−पत्नी का नाम	पता	खाता खुलने की तिथि	पेऑप
गंगोह	100242511772	सुषमा	वाया राकेश	म.नं122 गांव-जोगीपुरा उर्फ हमजगढ़	08-05-2023	103835
नोएडा-18	100742595790	भीम सिंह		उ.प्र. 247341 म.नं44, नंगला वाजिदपुर, जीबी नगर	17-08-2022	109995
गंगोह		मेहरबान	वाया नफीस	उ.प्र. 201306 म.नं. 409, कुंडा कलां-पीएस-गंगोह, सहारनपुर	AL STORY ENGINE	112-539-9-1-3
	100242511460			उ.प्र247341 1,,,धनपाल सिंह चिल्ला गांव सरोदा, खादर साईं मंदिर दिल्ली	04-08-2022	24756
इंदिरापुरम	101942515329	सतीश सिंह	धनपाल सिंह पुत्र	110091	23-02-2023	125681
नोएडा-18	100742598385	आकाश बंसल	सुभाष चंद बंसल पुत्र	नंबर 1, एमबी –20, पुराना पोस्ट ऑफिस वाली गली, शकरपुर बरामदा पूर्वी दिल्ली, दिल्ली 110092	22-02-2023	294894
नोएडा-18	100742599668	गुड्डी पत्नी ओम प्रकाश	पुत्री नानका	60, पानी टंकी के पास परवाला खुसरूपुर जहाजगढ़, दौलताबाद- 53 हरियाणा-122006	04-07-2023	67400
नोएडा-18	100742598752	कुलदीप जादौन	पुत्र भरत सिंह जादौन	एमएच–387, ग्राउंड फ्लोर, मोहम्मदपुर, शाहबाद, दक्षिण पश्चिम शनि मंदिर के पास	18-03-2023	28705
मेरठ		मलखान सिंह	पुत्र बगमल सिंह	दिल्ली 110061 चौरा, सेक्टर 22, सादतपुर, नोएडा, गौतमबुद्धनगर		
	100841510640		•	उ.प्र201301	26-12-2022	92562
नोएडा-18	100742574626	भीम मल्होत्रा	पुत्र महेंदर लाल मल्होत्रा	डी 10, साउथ अनारकली, गली नंबर 1, कृष्णा नगर, पूर्वी दिल्ली, दिल्ली 110051	10-04-2022	372603
नोएडा-18	100742599621	रवीना दुग्गल	वाया सतीश चंद	बी ८, आजादपुर, एमसी डी फ्लैट, नानी वाला बाग, आजादपुर, उत्तर पश्चिम दिल्ली, दिल्ली–110033	24-06-2023	198253
नोएडा-18	101042515383	सुमन पत्नी	पुत्र महावीर सिंह	8ए, खानपुर, महरौली, दिल्ली 110062	02-05-2023	555373
नोएडा-18	100742599344	रामवीर सिंह अजहरुद्दीन	पुत्र नजीमुद्दीन	जे 18.मुल्ला कॉलोनी, गली नंबर 6, घरोली, पूर्वी दिल्ली, दिल्ली	18-05-2023	31448
नोएडा-18	-	रेनू पत्नी	पुत्र पी. सुंदरम	110096 ई 4 172, ब्लॉक ई 4, नंद नगरी, उत्तर पूर्वी दिल्ली,	I KOMBOÇON ORDINIA	
	100742599511	संजय कुमार	3 3	दिल्ली 110093	08-06-2023	54901
इंदिरापुरम	101942516084	मोहित.	पुत्र सत्यबीर	सी 174, सेक्टर 122, आरडब्ल्यूए सोसाइटी, गौतम बुद्ध नगर नोएडा, उ.प्र. 201304	01-06-2023	178034
इंदिरापुरम	101942515751	अजय कुमार	पुत्र किशन सहाय	48ए, भूतल पॉकेट सी-2 मयूर विहार, फेज-3,	03-04-2023	240311
नोएडा-18	100742594949	रंजीत तिवारी	पुत्र ब्यास तिवारी	दिल्ली-110096 बी101, मयूर विहार, 14, मयूर विहार पीएच 1, पूर्वी दिल्ली प्रताप	12-07-2022	186559
नोएडा-18	100742595298	अंकित गुप्ता	पुत्र सर्वेश गुप्ता	नगर, दिल्ली 110091 सेक्टर 22, चौरा सादतपुर, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर	20-07-2022	440645
	100142333250			प्राइमरी स्कूल के पास उ.प्र. 201301	20 01 2020	
नोएडा-18	100742599685	विजय पी बघेल	पुत्र रघुवीर सिंह	बहैता हाजीपुर, संतोष विहार, लोनी देहात, गाजियाबाद, लोनी उ.प्र. 201102	11-07-2023	49552
इंदिरापुरम	101942516249	विजय पी बघेल	पुत्र रघुवीर सिंह	बहैता हाजीपुर, संतोष विहार, लोनी देहात, गाजियाबाद लोनी उ.प्र. 201102	13-07-2023	48912
चिलकाना रोड	100942510552	मोहम्मद	पुत्र मोहम्मद मुस्तफा	खेड़ा मावत, सहारनपुर, उ.प्र247231	31-08-2022	76255
इंदिरापुरम	101942515372	साहबाज अनिल कुमार	पुत्र भानुप्रताप सिंह	डी 424, जीसी 3, गौड़ एवेन्यू, गौतम बुद्ध नगर नोएडा,	27-02-2023	315868
				उ.प्र201301		
गाज़ियाबाद	101542512266	अनिल कुमार	पुत्र भानुप्रताप सिंह	डी 424, जीसी 3, गौड़ एवेन्यू, गौतम बुद्ध नगर नोएडा, उ.प्र.–201301	11-09-2023	210135
इंदिरापुरम	101942516150	थॉमस पी	पुत्र पुथेनपुरेल थॉमस	193 बी, पॉकेट सी 2, मयूर विहार चरण 3, पूर्वी दिल्ली,	16-06-2023	742619
		ऑगस्टी	ऑगस्टी	दिल्ली 110096	11.7003110110000	
इंदिरापुरम	101942516177	अनुपम अरोड़ा	पुत्र रमेश अरोड़ा	159 स्वयं सिद्ध कॉलोनी, पूर्वी पंजाबी बाग, पश्चिमी दिल्ली शिव	22-06-2023	68842
नोएडा-18	100742599445	विशाल त्यागी	पुत्र विजय पाल	मंदिर के पास दिल्ली 110026 आर-3/11, 3, शिवम अस्पताल के पास, राजनगर, गाजियाबाद,	30-05-2023	609761
नोएडा-18	100742597196	कंवरजीत सिंह	त्यागी पुत्र गुरबचन	उ.प्र201001 एफ-33, फाजिलपुर रोड, स्पेज प्रिवी, सेक्टर 72,	09-12-2022	172660
	100742397190		सिंह	चक्करपुर, गुड़गांव हरियाणा 122002	00-12-2022	77200
नोएडा-18	100742599674	अमित तिवारी	पुत्र राज किशोर	एफ 183 डबल वाटर टैंक, नंदग्राम, गाजियाबाद, उ.प्र.–201001	06-07-2023	127624
नोएडा-18	100742599658	माधव रमन	पुत्र टीकू राम	124 सी, सेक्टर 4, पुष्प विहार, दक्षिण दिल्ली, दिल्ली-110017	03-07-2023	116591
नोएडा-18	100742599696	निथापा	वाया सुनील थापा	क्यू395 कमरा नं. 5 दूसरी मंजिल, साउथ सिटी, सेक्टर-40, क्यू	14-07-2023	82714
मेरठ	100842511547	विशाल	पुत्र नवीन कुमार	ब्लॉक, गुड़गांव हरियाणा 122001 171, वझीलपुर, हापुड, उ.प्र. 245101	17-03-2023	274216
इंदिरापुरम	101942516163	रेखा खंडूरी	सुरेषा नन्द डबराल पुत्र	309 पॉकेट 3, एलआईजी फ्लैट्स, पश्चिम विहार एसओ वेस्ट		496535
इंदिरापुरम		कीर्ति साधवानी	पुत्री तुलसीदास	दिल्ली पश्चिम पुरी दिल्ली 110063 प्लॉट नंबर-2206 सुशांतलोक चरण 1, ब्लॉक सी, गोल्ड स्वीट्स		22557
· ·	101942515478	रितेश के चौधरी	साधवानी वाया चिरंजीव चौधरी	के पास, गुड़गांव हरियाणा 122002		
इंदिरापुरम	101942515869			312 तीसरी मंजिल सिल्वर बेल शालीमार सिटी, साहिबाबाद, गाजियाबाद, उ.प्र.–201005	17-04-2023	277885
इंदिरापुरम	101942515643	सीमा राय	पुत्री वीरेंद्र प्रतापराय	मकान नंबर 16.खसरा, 1, मंदिर, गाजियाबाद उ.प्र. 201309	24-03-2023	77118
इंदिरापुरम	101942515793	मनीष एस राणा	पुत्र बद्री नाथ	सी-28.पार्ट2, बद्री नाथ गली नंबर 3, दक्षिण पश्चिम दिल्ली, दिल्ली कुतुब विहार, दिल्ली, दिल्ली 110071	05-04-2023	249295
गाज़ियाबाद	101542511508	पवन पांडे	वाया राम बली पांडे	267, मदनपुर खादर, सूर्य मुहल्ला, सरिता विहार, दक्षिण दिल्ली आरबीजेडवाईएम-110076	27-04-2023	38793
गाज़ियाबाद	101542512074	दीपक कुमार	पुत्र महीपाल सिंह	मकान नंबर 203, गाजियाबाद, पंचवटी कॉलोनी, गाजियाबाद,	20-07-2023	132775
THE CONTRACT	3	A	11-1 C'	गाजियाबाद शंकर लाल अस्पताल के पास, उ.प्र201001		
गाज़ियाबाद	101542512649	दीपक कुमार	पुत्र महीपाल सिंह	मकान नंबर 203, गाजियाबाद, पंचवटी कॉलोनी, गाजियाबाद, गाजियाबाद शंकर लाल अस्पताल के पास, उ.प्र201001	07-11-2023	58900
गाज़ियाबाद	101542511898	अर्चना	पुत्री रोहताश कुमार	बी 5 309 दूसरी मंजिल, सेक्टर 11, रोहिणी, उत्तर पश्चिम दिल्ली,	20-06-2023	396041
			अग्रवाल	दिल्ली-110085		
गाज़ियाबाद	101542511912	संदीप देवकोटा	पुत्र प्रकाश देवकोटा	ई 185, सेक्टर 25 रोहिणी उत्तर पश्चिम दिल्ली दिल्ली 110085	22-06-2023	40596
गाज़ियाबाद	101542511973	उज्ज्वल सिंह	पुत्र लालबाबू सिंह	फ्लैट नंबर 1603, किमी 19, जेपी कोसमोस इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप, सेक्टर 134 नोएडा गौतम बुद्ध नगर, उ.प्र.–201304	03-07-2023	153437
				,		
<del>шаж • •</del>	4845	7.22.1.1 fit-	112 23-2	TEN 3 1/02 From 40	07.07.000	
गाज़ियाबाद	101542511999	उज्ज्वल सिंह	पुत्र लालबाबू सिंह	फ्लैट नं. 1603, किमी 19, जेपी कोसमोस इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप, सेक्टर 134 नोएडा गौतमबुद्धनगर, उ.प्र201304	07-07-2023	55745

प्राचिकत अधिकारी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड तथा आईडीएफर्स बैंक लिमिटेड के साथ संविलित

बैंक बिना किसी पूर्व सुचना के किसी भी खाते को नीलामी से हटाने या नीलामी को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। प्राधिकृत अधिकारी, शिवालिक स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

नोट: दिनांक 21/11/23 को किया गया पूर्व प्रकाशन शून्य एवं अमान्य है, क्योंकि 28/11/23 को जो नीलामी निर्धारित थी,

नीलामी की तिथि 07.12.2023 को 12:00 दोपहर है

प्लॉट 1034 द्वितीय तल नीतिखंड-1 इंदिरापुरम गाजियाबाद 17-07-2023

18-07-2023

129221.37

मकान नंबर सी28, गली नंबर 7, ब्रह्मपुरी, सीलमपुर

उत्तर पूर्वी दिल्ली, दिल्ली 110053

वह 07/12/23 को पुनर्निर्धारित कर दी गयी है। असुविधा के लिए खेद है।

वाया विनीत कमार

वाया अब्दल अजीज

गाज़ियाबाद 101542512045 मनीष सिंह

101542512060 मोहम्मद चांद